<u>राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल</u>

<u>SSA-IED समीक्षा बैठक दिनांक 07.12.2011</u>

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्र./राशिके/आईईडी/2011/10774 दिनांक 30.11.11 पत्र के अनुसार दिनांक 7.12.11 को SSA-IED गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का कार्रवाई विवरण निम्नानुसार है–

1. बैठक में जिला –भिन्ड, अलीराजपुर, खरगौन, बडवानी, बैतूल, होशंगाबाद, सागर, पन्ना तथा जबलपुर जिला शिक्षा केन्द्र से कोई उपस्थित नहीं हुआ । इसी प्रकार जिला स्तर पर SSA-IED गतिविधियों हेतु चयनित स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि जिला बड़वानी, बैतूल एवं छतरपुर से उपस्थित नहीं हुए । उक्त जिलों के जिला परियोजना समन्वयक द्वारा संबंधित जिला आईईडी प्रभारी तथा अध्यक्ष/सचिव स्वयं सेवी संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाए।
2. बैठक में राशिके के उपरोक्त पत्र में दिए गए प्रारूप अनुसार भिण्ड, अशोकनगर, नीमच, अलीराजपुर, खरगौन, बडवानी, खण्डावा, बुरहानपुर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छिंदवाडा, मण्डला तथा सिंगरौली की अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई । जानकारी अप्राप्त होने की स्थिति मे संबंधित जिलों की गतिविधियों की समीक्षा नहीं हो सकी। इसके लिये जिला परियोजना समन्वयक ,जिला आईईडी प्रभारी जिम्मेवार है। अतः उन्हें भविष्य हेतु चेतावनी दी गयी तथा तीन दिवस में ई–मेल से जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए ।
3. स्वयं सेवी संस्था द्वारा विकासखण्ड स्तर पर नियुक्त किए जा रहे मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों एवं वालेन्टियरों के आरक्षित पदों पर विज्ञापन उपरान्त उचित उम्मीदवार न मिलने से पद रिक्त रहने की स्थिति में भविष्य में खुले विज्ञापन के माध्यम से (वाक इन इन्टरव्यू) स्वयं सेवी संस्था द्वारा नियुक्ति की जाए ।
4. स्वयं सेवी संस्था द्वारा नियुक्त एवं <u>जिला/विकासखण्ड</u> पर पूर्व से नियुक्त मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों की बैठक व्यवस्था स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा ही की जाएगी । विकासखंड स्रोत समन्वयक इनके भ्रमण एवं मानीटरिंग संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर स्वयं सेवी संस्था को अपने विकासखंड मे CWSN की उचित शिक्षा व्यवस्था हेतु समन्वय करेंगे तथा पासवर्ड उपलब्ध कराते हुए पोर्टल पर जानकारी अपडेट कराएंगे।
5. मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों एवं वालेन्टियरों के जॉब चार्ट संलग्न किए जा रहे हैं जिसके अनुसार मानीटरिंग प्रपत्र तैयार कर प्रतिमाह आवश्यक रूप से जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें जिला परियोजना समन्वयक एवं आईईडी प्रभारी/एपीसी आईईडी द्वारा जानकारी का संकलन किया जाएगा तद्नुसार राज्य स्तर पर प्रत्येक दो माह मे एक बार आयोजित होने वाली बैठक में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों तथा वालेन्टियर्स द्वारा किये जाने वाले कार्यों की सफलता की कहानी का संकलन किया जाए एवं इसका प्रस्तुतीकरण बैठकों मे किया जाए। CWSN की नामवार

एजुकेशन पोर्टल पर जानकारी का अपडेशन स्वयं सेवी संस्था के सहयोग से किया जाए। विकासखण्ड से जिला स्तर पर बैठक हेतु उपस्थित होने वाले मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों को सर्व शिक्षा अभियान मद से माह में एक बार वास्तविक यात्रा देयकों का भुगतान किया जाए । मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों एवं वालेन्टियरों के कार्यों की रिपोर्ट भी सब इन्जीनियर की पोर्टल पर रिपोर्ट के अनुसार डाली जाए।

6. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अवगत कराया कि उन्हें जिले में पूर्व से कार्यरत मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों तथा नवनियुक्त मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों एवं वालेन्टियरों के मानदेय की राशि का भुगतान जिला शिक्षा केन्द्र से प्राप्त नहीं हुआ है अतः स्वयं सेवी संस्था तथा जिला शिक्षा केन्द्र के मध्य हुए MoU के अनुसार शीघ्र राशि जारी की जाए_एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधितों को वास्तविक मानदेय का भुगतान उनके एकाउन्टपेयी चेक अथवा ई–ट्रान्सफर के माध्यम से दिया जाए।
7. जिले की वार्षिक कार्ययोजना (2012–13) जिले हेतु चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से बनवाई जावे ।
8. दमोह जिले में SSA-IED हेतु चयनित स्वयं सेवी संस्था का जॉच प्रतिवेदन जिला कलेक्टर कार्यालय में लम्बित होने की जानकारी प्राप्त हुई है । इस हेतु जिले से शीध्र कार्रवाई करने एवं राज्य शिक्षा केन्द्र को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।
9. जिला भिण्ड एवं विदिशा, अलीराजपुर खण्डवा, पन्ना, अनूपपुर मंदसौर,देवास एवं खरगौन में SSA-IED गतिविधियों हेतु प्राप्त स्वयं सेवी संस्था के प्रस्तावों को जिला स्तर से अनुशंसा सहित राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
10. जिला गुना से SSA-IED गतिविधियों हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर स्वयं सेवी संस्था के प्रस्ताव आमंत्रण करने हेतु निर्देशित किया गया था इस पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
11. ग्वालियर जिले में CWSN बालिका छात्रसवास हेतु स्वयं सेवी संस्था सिद्धेश्वर महारज विकलांग कल्याण समिति ग्वालियर का चयन किया गया है इसी प्रकार अनूपपुर में CWSN छात्रावास संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्था प्रेरणा विकलांग कल्याण समिति शहडोल तथा गुना जिले में स्वयं सेवी संस्था पूजा विकलांग कल्याण समिति भोपाल का चयन किया गया है। उपरोक्त संस्थाओं से जिला सतर पर MoU करने की कार्रवाई लंम्बित है अतः शीघ्र कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
12. जिला नियुक्ति समिति के माध्यम से सहायक जिला परियोजना समन्वयक (आईईडी) की नियुक्ति इन्दौर एवं टीकमगढ़ में किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है । समस्त जिलों में उपरोक्त कार्रवाई 20 दिसम्बर 2011 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
13. इस वर्ष 2011–12 हेतु 13 जिलों में CWSN के मूल्यांकन एवं उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने के विस्तृत निर्देश पत्र क्र./राशिके/आईईडी/2011/10804 दिनांक 1.12.11 द्वारा प्रेषित किए गए हैं, इस हेतु एलिमको जबलपुर से समन्वय कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए ।

14. जिला–देवास, सीहोर, पन्ना से CWSN छात्रावास संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के अनुशंसित प्रस्ताव अप्राप्त हैं । अतः जिला स्तर पर प्राप्त प्रस्ताव शीघ्र अनुशंसा कर राज्य शिक्षा केन्द्र को भेजे जाएं अथवा प्रस्ताव प्राप्त न होने की स्थिति मे जिले से विज्ञापन प्रकाशित कर कार्रवाई की जाए।

अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र 3-1-12
भोपाल

पृक्र/रा.शि.के./आईईडी/2012/38 भोपाल दिनांक 3.1.12

प्रतिलिपिः–

1 कलेक्टर समस्त जिले (म.प्र.)।
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत),समस्त जिले (म.प्र.) को सूचनार्थ।
3 जिला परियोजना समन्वयक,जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4 अध्यक्ष/सचिव संबंधित स्वंय सेवी संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5 सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट www.ssa.mp.gov.in/circulars.htm/ एवं एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र 3.1.12
भोपाल